

निहित बंद

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

SUMIT CHATURVEDI
ACC ID-UP14104004
MATHURA

e-Stamp

6591/2023

KEP

6591

Certificate No. : IN-UP77404352775847V
 Certificate Issued Date : 05-Apr-2023 12:20 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/UP-MTH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410400448999254517369V
 Purchased by : MESSERS MAHARAJA REALTORS
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : MAUJA GIRDHARPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SMT VIDYA URF VIDHYA DEVI
 Second Party : MESSERS MAHARAJA REALTORS
 Stamp Duty Paid By : MESSERS MAHARAJA REALTORS
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,06,500
 (Two Lakh Six Thousand Five Hundred only)

Plotting



Please write or type below this line

निविदा देती उष बिद्या

Handwritten signature



JD 0031308504

Statutory Alert:

1. Copy Authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





{2}

॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **बिक्रय रकवा 0.1180 हैक्टेयर**
4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 29,50,000/-रुपये
6. मालियत : 29,50,000/-रु.
7. कुल देय स्टाम्प : 2,06,500/-रु. ई-स्टाम्प जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -2,50,00,000/-रुपया प्रति हैक्टेयर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।
9. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक मथुरा।
10. विक्रेता-क्रेता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण-1

श्रीमती विद्या देवी उर्फ विद्या पत्नी श्री भूदरिया निवासी ग्राम गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।

पेन : बी एफ डब्ल्यू पी वी 5341 बी

क्रेता/द्वितीय पक्ष का विवरण-1

मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निबंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, सौंख रोड़, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार हरेन्द्र सिंह उर्फ हरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूंगरा सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक कॉलोनी, गोवर्धन रोड़ मथुरा।

पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी - मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स

पैन : ए एक्स एच पी एस 2049 बी - हरेन्द्र प्रताप सिंह

श्रीमती विद्या देवी उर्फ विद्या

श्रीमती विद्या देवी उर्फ विद्या

{3}

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के अनुसार खाता सं. 00185 खसरा नं. 94 रकवा 0.5880 हैक्टेयर लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा, में से भूमि रकवा 0.2340 है0 अन्य बैनामाओं द्वारा विक्रय के बाद शेष भूमि रकवा 0.3540 है0 सम्पूर्ण अंश मिल्कियत प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चली आती है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजातमाल नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी बैंक आदि में बंधक नहीं है और उक्त आराजी भूमि की बाबत कोई वाद-विवाद किसी न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई अन्य इकरारनामा किसी अन्य के साथ तय किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी काफी ज्यादा खार खड्डेदार कृषि भूमि है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है, जिस कारण प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों हेतु धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

नि. बिद्यादेव उर्फ बिद्या



{4}

अतः उक्त शेष आराजी भूमिधरी रकवा 0.3540 है0 सम्पूर्ण अंश में से बिक्रय रकवा 0.1180 हैक्टेयर भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हक हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बऐवज 29,50,000/-रु. (उन्तीस लाख पचास हजार रूपये) में बदस्त मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निबंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, सौंख रोड़, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार हरेन्द्र सिंह उर्फ हरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निदासी ग्राम पाली डूंगरा सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक कॉलोनी, गोवर्धन रोड़ मथुरा, खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रूपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकवा 0.1180 हैक्टेयर भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष फर्म बेची गयी उक्त आराजी की आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण व दाखिल खारिज सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा।

निष्ठापूर्वक उक्त विद्या




Handwritten signature in black ink, appearing to be 'SH' followed by a large flourish.



यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या कोई भी झगडा झंझट आदि निकले या कोई वाद विवाद विचाराधीन पाया जावे या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा विक्रेता स्वयं पूरे जिम्मेदार होंगे तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। किसी प्रकार का विवाद दोनों पक्षों व अन्य पक्षों के मध्य होता है, तो द्वितीय पक्ष को प्रतिफल की राशि को बाधित करने का अधिकार होगा। भविष्य में बेची गयी आराजी की बाबत यदि कभी कोई वाद विवाद, भार, ऋण इत्यादि किसी भी प्रकार का पाया जाता है अथवा कोई कानूनी पेचीदगी आती है, तो उस कुल की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, द्वितीय पक्ष का उससे कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है। मुझ हरेन्द्र सिंह उर्फ हरेन्द्र प्रताप सिंह को फर्म मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स व उसके अन्य साझीदारान की ओर से इस प्रलेख को पंजीकृत कराने आदि हेतु पूर्णतः अधिकृत किया हुआ है, यानि मुझको इस प्रलेख को पंजीकृत कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं। तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक 11.08.2020 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 7 के सफा 125-134 पर क्रमांक 15 पर दिनांक 11.08.2020 को हुई है, के द्वारा राजकुमार पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अहमलकलाँ, सौख तहसील गोवर्धन जिला मथुरा को उक्त हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीझूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा हाल निवासी 106,107,108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा, की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने व निबन्धन कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

नि. विद्यादेवी उर्फ विद्या



आवेदन सं०: 202300764017345

विक्रय पत्र



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6591

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 2950000 स्टाम्प शुल्क- 206500 बाजारी मूल्य - 2950000 पंजीकरण शुल्क - 29500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 29560

श्रीमती विद्या देवी उर्फ विद्या,
पत्नी श्री भूदरिया
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम गिरधरपुर मथुरा



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/04/2023 एवं 12:40:41 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव हैकरवाल प्रभारी
उप-निबंधक :सदर प्रथम
मथुरा

06/04/2023

प्रदीप सपाध्याय
निबंधक लिपिक
06/04/2023

प्रिंट करे

{6}

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 29,50,000/-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-

4,90,000/-रु चैक सं. 527761 केनरा बैंक मथुरा।

4,90,000/-रु चैक सं. 527762 केनरा बैंक मथुरा।

4,90,000/-रु चैक सं. 527763 केनरा बैंक मथुरा।

4,90,000/-रु चैक सं. 527764 केनरा बैंक मथुरा।

4,95,000/-रु चैक सं. 527765 केनरा बैंक मथुरा।

4,95,000/-रु चैक सं. 527766 केनरा बैंक मथुरा।

नि. विद्यादेवी उक्त विक्रेता



आवेदन सं०: 202300764017345

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6591

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती विद्या देवी उर्फ विद्या, पत्नी श्री भूदरिया

निवासी: ग्राम गिरधरपुर मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स द्वारा हरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा राजकुमार,
पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम अहमलकलां सौख तह० गोवर्धन जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री नितिन, पुत्र श्री रामगोपाल

निवासी: प्रकाश नगर मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री राकेश, पुत्र श्री रामबाबू

निवासी: चूनाककड शहर मथुरा

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी: नोट- विक्रेता ने प्रलेख में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिफल
प्राप्त करना स्वीकार किया।

राजीव हैकरवाल प्रभारी
उप निबंधक: सदर प्रथम
मथुरा

06/04/2023

प्रदीप पुष्पाय
निबंधक/सिद्धिक मथुरा
06/04/2023

प्रिंट करें


{7}

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

~~नि. लि. के. उ. के. लि. के.~~



~~राजवीर सिंह~~






दिनांक : 03.04.2023
 टाईप किया : के० के० शर्मा, मथुरा।
 ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।
 साक्षी—

1. नितिन पुत्र श्री रामगोपाल
 निवासी प्रकाश नगर मथुरा।

2. राकेश पुत्र स्व० रामबाबू
 निवासी चूना कंकड मथुरा।

3. राजवीर सिंह पुत्र श्री भूदरिया
 निवासी नगला गिरधारी, गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।

4. रुपेन्द्र चौधरी पुत्र श्री राजवीर सिंह
 निवासी नगला गिरधारी, गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।




~~राजवीर सिंह~~

आवेदन सं०: 202300764017345

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18138 के पृष्ठ 155 से 168 तक क्रमांक 6591 पर दिनांक
06/04/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजीव हैकरवाल प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
06/04/2023

प्रिंट करें

नजदीक नजारा आराजी खसरा न-१५ खता ०-५८८०
 से से खसरा खता ०-२३५० ए० अन्य ब० द्वारा विक्रय के
 बाद हीय खसरा खता ०-३५५० ए० सम्पूर्ण अंश मेसे
 खता ०-११८० ए० मोंता-गिरधरपुर तहसील प्र.मथुरा
 विक्रित = श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री भूदरिया

खसरा न-१५
 का खसरा
 खसरा न-१५
 खसरा ०-११८०



आराजी एन्ड प्रताप
 आदि

1/22
 1/22
 नि. विद्या देवी उर्फ विद्या

